पारिवारिक दान-पत्र प्रारूप

| यह दान—पत्र आज दिनांक/201— को स्थान रायपुर (छ.ग.) में निम्नानुसार उपहारकर्ता द्वारा अपने पिता/माता/पित/पत्नी/पुत्र/पुत्री/पुत्रवधु/भाई/बहन/पौत्र/पौत्री/नाती/नातिन ————— (उल्लेख करें) को उपहार के माध्यम से दान करने के संबंध में निष्पादित किया गया :— |
|---|
| दानकर्ता (दाता) : श्री / श्रीमति / कुमारी ——————, उम्र ——— वर्ष पत्नि, ———————————————————————————————————— |
| दानग्रहिता (आदाता) : श्री / श्रीमति / कुमारी —————, उम्र ——— वर्ष पत्नि, ————————— निवासी———————— |
| दान में दी गई सम्पत्ति का पूर्ण विवरण :— दानकर्ता के सामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि जो कि ग्राम —————, पटवारी हल्का नम्बर ———, राजस्व निरीक्षक मण्डल ————, नगर निगम/पालिका/पंचायत क्षेत्रान्तर्गत स्थित खसरा नम्बर ———— का भाग जिसका रकबा ———— हेक्टेयर है, दान में दी गई भूमि की चर्तुसीमाएं निम्नानुसार है :— उत्तर में: दक्षिण में : पूर्व में : पश्चिम में : |
| दानदाता नीचे उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का पर्णरूपेण स्वामी होकर वह उसका उपयोग |

दानदाता नीचे उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का पूर्णरूपेण स्वामी होकर वह उसका उपयोग एवं उपभोग कर रहा है, जिसे दान करने का उसे वैध अधिकार प्राप्त है। दानदाता ने उक्त संपत्ति वर्ष में क्रय किया था। अतः यह विलेख साक्ष्यित करता है कि —

- यह कि दानग्रहिता, दानदाता के रिश्ते में ———— है एवं वह दाता के पास जन्म से रह रहा है तथा दाता का उसके प्रति अगाध प्रेम और स्नेह है, अतएव वह उक्त सम्पत्ति का निर्वर्तन करने का इच्छुक है ।
- यह कि दानदाता द्वारा अपने समस्त अधिकारों के अन्तर्गत दान की भूमि के संबंध में प्राप्त समस्त स्वत्व एवं आधिपत्य संबंधी अधिकारों का अंतरण दानग्रहिता के पक्ष में प्रतिफल विहीन किया जाता है । इस विलेख के द्वारा दानदाता द्वारा उक्त दान की भूमि का अंतरण उपहारग्रहिता के पक्ष में अपने हस्ताक्षर कर अभिस्वीकृति प्रदान की जाती है, जिसे दानग्रहिता ने स्वीकार कर लिया है ।
- 3. यह कि दानदाता द्वारा इस विलेख के निष्पादन एवं पंजीयन के साथ ही दान की भूमि का आधिपत्य दानग्रहिता को प्रदान किया है, अब दानग्रहिता को यह अधिकार है कि वह दानकृत भूमि को एकमात्र स्वत्वधारी के रूप में धारित करे तथा भू अभिलेखों इत्यादि में जैसा कि शासन द्वारा निर्धारित किया गया है, अपने पक्ष में नामांतरण करा लेवें, उक्त नामांतरण इत्यादि हेतु आवश्यक समस्त दस्तावेजों पर दानदाता हस्ताक्षर करने एवं अन्य आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु बाध्य है ।
- 4. यह कि दान की भूमि आज दिनांक तक पूर्णतः भारमुक्त एवं भार रहित है, उक्त भूमि पर आरोपित सभी कर, लगान व टैक्स आदि का भुगतान आज दिनांक तक दानदाता द्वारा किया जा चुका है, इस दान—पत्र के निष्पादन के उपरान्त के समस्त राजस्वों, लगानों तथा अन्य निकायों को देय अन्य करों / राजस्व इत्यादि के भुगतान का दायित्व दानग्रहिता को होगा।

- 5. दानग्रहिता को इस विलेख के निष्पादन उपरान्त यह अधिकार प्राप्त है कि वह उक्त संपित्त का अपनी इच्छा अनुरूप उपयोग करे, दानग्रहिता उक्त संपित्त का हस्तांतरण अन्य को कर सकेगा। इस संबंध में दानदाता अथवा उसके उसके उत्तराधिकारी को दानग्रहिता के दान में प्राप्त संपित्त के पूर्ण उपयोग, उपभोग करने में व्यक्तिगत बाधा कारित करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
- 6. छ०ग० भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं हो रहा है, उपरोक्त भूमि भू—दान से या शासन से प्राप्त पट्टे की भूमि नहीं है। भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 27—ए का भी उल्लंघन नहीं हो रहा है।

अब यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि दाता प्रेम एवं स्नेह के पूरित होकर उपरोक्तानुसार वर्णित सारी भूमि से संलग्न सारे अधिकारों के साथ अपनी स्वतंत्र सहमति से उक्त सहमति आदाता को दान करता है। उपर्युक्त के साक्ष्य स्वरूप हम दोनों पक्षकारों ने निम्नलिखित दो साक्षियों के समक्ष उपर्युक्त स्थान एवं दिनांक पर अपने हस्ताक्षर कर दिये है।

| [प्रमाणित किया जाता है कि दस्तावेज में कोई काट–छाट नही है । | | |
|---|-----------|---------------|
| प्रारूपकर्ता— | | |
| हस्ताक्षर, प्रारूपकर्ता | | |
| | | |
| साक्षीगण :— | | |
| (1) | | |
| (2) | | |
| | हस्ताक्षर | |
| | | (दानदाता) |
| | हस्ताक्षर | |
| | | (दान ग्रहिता) |